न्यायालय :- उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी , जनपद :गाजीपुर , तहसील :जमानियां
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202014290301551
वाद संख्या:- 01551/2020
वशिष्ठ महा विद्यालय बघरी प्रबन्धक अमरनाथ तिवारी बनाम उ०प्र०सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 25/09/2021

ग्राम बघरी परगना व तहसील जमानियां जिला गाजीपुर की खतौनी 1425 से 1430फ० के खाता सं० 60 के आ०नं० 573 रकबा 1.832हे० में से रकबा 1.012हे0 को अकृषिक प्रख्यापित कराने हेतु आवेदक अमरनाथ तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी प्रबन्धक महाविद्यालय बँघरी की तरफ से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया गया है। जिस पर तहसीलदार जमानियां द्वारा दिनांक 19-09-2020 को राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 19-09-2020 को अग्रसारित किया गया है। उक्त आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि आ०नं० 573 रकबा 0.253हे० पर महाविद्यालय का भवन बना है तथा रकबा 0.759हे० पर महाविद्यालय का चहारदिवारी के रूप में कब्जा दखल है। जिसमें कृषि कार्य किया जाता है। आवेदक अमरनाथ तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी साकिन बघरी द्वारा राजस्व संहिता की धारा 80(1) अन्तर्गत अकृषित घोषणा हेतु प्रस्तुत ग्राम बघरी के आ०नं० 573 रकबा रकबा 0.253हे० अकृषिक तथा रकबा 0.759हे० को कृषिक घोषित किये जाने की सस्तुति की गयी है।

उक्त के आधार पर पूर्वाधिकारी के आदेश दिनांक 09-10-2020 द्वारा विधिक बटवारा न किये जाने के कारण वाद निरस्त कर दिया गया है। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा तजवीजसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 03-09-2021 को प्रस्तुत करते हुए साक्ष्य सबूत लेकर वाद का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जो आदेश दिनांक 03-09-2021 को तजवीसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद मूल नम्बर पर कायम किया गया। आवेदक द्वारा उक्त तजवीजसानी प्रार्थना पत्र के समर्थन में दिनांक 25-09-2021 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि महाविद्यालय के नाम 4 विघा जमीन है जिसमें एक विघा जमीन पर कालेज का अध्ययन कक्ष बना हुआ है, बाकी जमीन पर अध्ययन कक्ष का निर्माण होगा तथा बची हुई जमीन में खेल के मैदान के लिए पयोग किया जायेगा। तदक्रम में मौके का स्थल निरीक्षण कराया गया । क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट दिनांक 25-09-2021 राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार जमानियां की आख्या दिनांक 25-09-2021 प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया है कि ग्राम बघरी की खतौनी 1425से 1430फ० के खाता सं० 60 आ०नं० 573 रकबा 1.8320हे० में रकबा 1.012हे०पर श्री वशिष्ठ महाविद्यालय बघरी जरिये प्रबन्धक अमरनाथ तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी साकिन बघरी परगना व तहसील जमानियां के नाम से है जिसमे रकबा 0.253हे० में महाविद्यालय का भवन बना है, तथा रकबा 0.759हे० पर चारो तरफ से चहारदिवारी बना है, महाविद्यालय प्रबन्धक द्वारा कहा गया कि महाविद्यालय के खेल का मैदान व पुस्तकालय भवन तथा अन्य कार्यो के निर्माण हेतु प्रस्तावित है जो धनाभाव के कारण नही हो पाया है उनके द्वारा कहा गया है कि एक वर्ष के भीतर विस्तार कर लिया जायेगा। वादी द्वारा निर्धारित सकिल दर से उदघोषणा शुल्क 1 प्रतिशत तथा न्याया शुल्क 1 प्रतिशत कुल 2 प्रतिशत यानि 50600/- पच्चास हजार छः सौ रुपये मात्र भारतीय स्टेट बैंक शाखा जमानियां में चालान सं० 30 दिनांक 24-09-2021 को जमा कर चालान की प्रति,नजरी नक्शा,खतौनी व खेसरा प्रस्तुत की गयी हैं। प्रश्नगत भूमि खाता सं० 60 के सहखातेदारो की तरफसे अनापत्ति प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत भूमि ग्राम बघरी के आ०नं० 573 रकबा 0.253हे० को राजस्व संहिता की धारा 80(1) के तहत तथा रकबा 0.759हे० को राजस्व संहिता की धारा 80(2) तहत कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाने योग्य है।

अतः ग्राम बघरी के खतौनी 1425 से 1430फ० के खाता सं० 60 के आ०नं० 573 के रकबा 0.253हे० को अन्तर्गत धारा 80(1) तथा रकबा 0.759हे० को अन्तर्गत धारा 80(2) के परन्तुक के अधीन गैर कृषिक कार्यो हेतु प्रख्यापित किया जाता हैं आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जमानिया को एवं उप निबन्धक कार्यालय जमानियां को अनुपालन हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कयावाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(रमेश मौर्य)
उपजिलाधिकारी जमानिया
गाजीपुर।